दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात व्यापार में गिरावट

678. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

श्री ए. राजाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत एक वर्ष के दौरान देश से होने वाले निर्यात और निर्यात क्षेत्र के ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पिछले एक वर्ष के दौरान उक्त दोनों में ही गिरावट आई है।

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार देश में नई निर्यात नीति लाने पर भी विचार कर रही है या उसे किसी राज्य से इस मामले में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक लागू हो जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): भारत के व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2017–18 में 303.53 अमेरिकी बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 330.07 अमेरिकी बिलियन डॉलर हो गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। वर्ष 2017–18 और 2018–19 में तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निर्यात और वृद्धि अनुलग्नक–I पर हैं। भारत के निर्यात क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक/वित्तीय संकट में वृद्धि के कारण वर्ष 2013–14 के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तथापि वर्ष 2016–17 से लगभग तीन वर्षों तक निर्यात दीर्घकालिक आधार पर बढ़ता रहा है और वर्ष 2018–19 में पहली बार कुल निर्यात आधा ट्रिलियन डॉलर से अधिक की नई ऊंचाई तक पहुंच गया है।

(ग): सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैंः

i. नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई। इस नीति में अन्य बातों के साथ–साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय थे।

ii. विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा 5 दिसम्बर, 2017 को की गई। प्रति वर्ष 8450 करोड़ रु. के वित्तीय निहितार्थ के साथ श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

iii. लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नये लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।

iv. पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिससें श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।

v. व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से 80 हो गया।

vi. देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।

vii. दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात" नीति प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।

viii. विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) स्कीम प्रारंभ की गई है।

ix. वस्त्र और निर्मितियों के निर्यात को शामिल करते हुए एक नई स्कीम नामतः राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी से छूट प्रदान करने हेतु स्कीम (आरओएससीटीएल) को दिनांक 7.3.2019 को अधिसूचित किया गया जिसके अंतर्गत उच्च दरों पर शुल्कों/करों का रिफंड दिया जा रहा है।

(घ) से (ड.) निर्यात नीति गतिशील है और इसकी समय–समय पर संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों/राज्यों से प्राप्त इन्पुट्स/सिफारिशों के आधार पर समीक्षा की जाती है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के 31 मार्च 2020 को समाप्त होने से पहले नई विदेश व्यापार नीति को जारी किया जाएगा।

****

अनुलग्नक–I

20 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 678 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निर्यात

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डालर में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	वर्ष 2017–18 की तुलना में 2018–19 में प्रतिशत परिवर्तन
1	महाराष्ट्र	69731.48	72809.28	4.41
2	गुजरात	66818.03	67412.15	0.89
3	तमिलनाडु	29754.22	30525.91	2.59
4	कर्नाटक	18052.34	17341.29	-3.94
5	उत्तर प्रदेश	13803.90	16289.17	18.00
6	आंध्र प्रदेश	13019.53	14085.63	8.19
7	हरियाणा	13263.41	13833.25	4.30
8	पश्चिम बंगाल	9148.22	10057.13	9.94
9	केरल	7308.07	9834.25	34.57
10	दिल्ली	8713.88	9464.60	8.62
11	तेलंगाना	6568.71	7168.26	9.13
12	राजस्थान	6952.05	7061.61	1.58
13	मध्य प्रदेश	5249.96	6382.37	21.57
14	ओडिशा	7585.01	6303.36	-16.90
15	पंजाब	5788.25	6038.07	4.32
16	उत्तरांचल	1455.46	2351.18	61.54
17	दादरा और नगर हवेली	2051.25	2143.38	4.49
18	गोवा	2103.17	2063.64	-1.88
19	बिहार	1345.31	1640.91	21.97
20	हिमाचल प्रदेश	1221.67	1323.43	8.33
21	झारखंड	1116.53	1252.79	12.20
22	छत्तीसगढ़	1522.70	1244.10	-18.30
23	दमन और दीव	956.98	1053.39	10.07
24	पांडिचेरी	415.05	392.79	-5.36
25	असम	382.35	369.90	-3.26
26	जम्मू और कश्मीर	148.31	196.43	32.45
27	चंडीगढ़	69.93	71.89	2.81
28	मेघालय	85.13	53.86	-36.73
29	सिक्किम	13.96	7.94	-43.15
30	अंडमान और निकोबार	31.46	4.01	-87.26
31	नगालैंड	3.92	2.78	-28.92
32	मणिपुर	1.33	2.66	99.48
33	अरुणाचल प्रदेश	5.32	2.31	-56.63
34	त्रिपुरा	2.36	1.72	-27.13
35	मिजोरम	1.07	1.41	31.67
36	लक्ष्य.द्वीप	0.64	0.41	-35.90
अविर्निदिष्ट		8835.22	21290.81	145.14
भारत का निर्यात		**303526.16**	**330078.09**	**8.75**

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस; कोलकाता